कार्यालय : महाप्रबन्धक, जलकल, नगर निगम, गोरखपुर

पत्रांक 24 /म0प्र0/जलकल/2021–22 दिनांक 02/07/2021

अल्पकालीन निविदा सूचना (मैनुवल पद्धति)

नगर निगम गोरखपुर के पंजीकृत "ग" श्रेणी के ठेकेदारों से दिनांक 13.07.2021 को अपरान्ह: 3:00 बजे तक मुहरबन्द निविदायें जलकल विभाग में रखे निविदा बाक्स में आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की बिक्री दिनांक 12.07.2021 को अपरान्ह 2:00 बजे तक जलकल कार्यालय से की जायेगी। प्राप्त निविदायें उसी दिन 3:30 बजे महाप्रबन्धक कार्यालय जलकल विभाग नगर निगम, गोरखपुर में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। अधूरे एवं सशर्त निविदा स्वीकार नही किये जायेंगे। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। यदि निविदा खोलने की नियत तिथि को अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस में निविदायें खोली जायेगी। निविदा नगर निगम, गोरखपुर की वेब–साईट www.nagarnigamgkp.org पर भी उपलब्ध है। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर धनराशि
1	2	3	4	5
1.	वार्ड सं0 55 अलहदादपुर मुख्य मार्ग से अमीन गली में मनोज श्रीवास्तव के मकान तक 90 मीटर 160एमएम पीवीसी पाइप डालकर सीवर लाइन विस्तार का कार्य	1,95,395.00	200.00 GST 18% 36.00 236.00	20,000.00

निविदा की प्रमुख शर्ते :

1. दिनांक 12.07.2021 को प्रकाशित निविदा मे आमंत्रित कार्यो के लिए मोहरबन्द निविदा नगर निगम के उपयुक्त श्रेणी मे ठेकेदारों से नगर निगम गोरखपुर के जलकल विभाग मे रखे निविदा बाक्स मे प्राप्त की जायेगी, एवं निविदा पंजीकृत डाक से भी प्रेषित की जा सकेगी। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। कार्य का विवरण नगर निगम, गोरखपुर की वेब–साईट www.nagarnigamgkp.org तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड किये जा सकते है। निविदा दर प्रतिशत मे नियत फार्म पर देनी होगी। निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। शर्तयुक्त निविदा मान्य नही होगी।
2. निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड करने की दशा में निविदा प्रपत्र मूल्य का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट लेखाधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर के पक्ष मे निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
3. धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/राष्ट्रीकृत बैंक के एफ0डी0आर0 के रूप मे मान्य होगी जो महाप्रबन्धक जलकल नगर निगम, गोरखपुर के पक्ष में बन्धक होगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी रूप मे जमानत की धनराशि मान्य नही होगी। कोई रिफरेन्स अथवा संयुक्त जमानत धनराशि मान्य नही होगी तथा स्थानीय राष्ट्रीकृत बैंकों अथवा पोस्ट आफिस द्वारा ही जारी जमानत धनराशि (एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0) संलग्न की जाये ताकि सत्यापन में कोई असुविधा न हो।

क्रमशः.................2

4. संस्था (पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/आदि) के प्रकरण मे पार्टनरशिप डीड अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
5. निविदा की दर अंकों व शब्दों मे स्पष्ट रूप से निर्धारित स्थान पर अंकित होनी चाहिए। शब्दों में अंकित न होने की दशा में निविदा मान्य नही होगी। दर अंकित करते समय "कम" अथवा "अधिक" शब्द का उल्लेख होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अंकों तथा शब्दों में उल्लेखित दर की भिन्नता पाये जाने एवं निर्धारित स्थान पर निविदादाता द्वारा दर अंकित न करने की स्थिति में निविदा अवैध एवं अमान्य करते हुए लिफाफा बन्द कर दिया जायेगा। निविदा दरें ओवर आल परसेन्टेज बेसिस पर ही मान्य होगी।
6. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र के क्रय हेतु निविदा प्रपत्र के मूल्य के साथ डाक व्यय का भुगतान नकद/मनीआर्डर द्वारा करना होगा।
7. डाक द्वारा प्राप्त केवल उन्ही निविदाओं पर विचार किया जायेगा जो नियत अवधि के अन्दर प्राप्त होंगी।
8. निविदा प्रपत्र पर निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए।
9. निविदा प्राप्त करने की तिथि मे यदि कोई अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस मे निविदा प्राप्त एंव खोली जायेगी।
10. निविदा की वैधता निविदा पड़ने की तिथि से 06 माह तक होगी।
11. आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
12. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् भी यह तथ्य संज्ञान मे आता है कि निविदादाता द्वारा किसी भी स्तर पर नियम एवं शर्तों का उल्लघंन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।
13. निविदा के साथ ठेकेदार को नवीनीकरण/पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा जो ठेकेदार जिस श्रेणी मे पंजीकृत है उसकी निविदा मात्र उसी श्रेणी के लिए मान्य होगी। वित्तीय वर्ष 2021–22 के नवीनीकृत/पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु अधिकृत है। निविदा प्रपत्र के साथ जमा रसीद अथवा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
14. निविदा के साथ निविदा बिक्री की रसीद मूल रूप से संलग्न करना होगा, जिसे ठेकेदार को स्वंय प्रमाणित कर संलग्न करना होगा।
15. निविदा के साथ किसी भी विवाद की दशा में नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
16. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय व नगरीय शोध प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ के पत्रांक तक0सेल/07/निदे0/ 2019 दिनांक 28.06.2019 द्वारा हैसियत की सीमा तथा पंजीकरण जमा धनराशि के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।
17. सफल निविदादाता द्वारा यदि समय से कार्य पूर्ण नही किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह कार्य किसी अन्य एजेन्सी से पूर्ण करालें तथा इस प्रक्रिया में जो निगम को अधिक व्यय करना होगा वह निविदादाता के धरोहर धनराशि से जब्त करके पूर्ण कर लिया जायेगा।
18. निविदा में संलग्न की गयी धरोहर राशि का विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।

क्रमशः..................3

19. निविदादाता जी0एस0टी0 एवं आयकर में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
20. फर्म/ठेकेदार को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म/ठेकेदार कही किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था में पिछले 05 वर्ष में ब्लैक लिस्टेड नही रही हो।
21. यदि फर्म/ठेकेदार द्वारा संलग्न कोई प्रपत्र जॉच के दौरान असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ब्लैक लिस्टेड कराये जाने की कार्यवाही भी की जायेगी।
22. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर मे निहित होगा।
23. किसी वाद की दशा में न्याय क्षेत्र गोरखपुर नगर होगा।
24. निविदा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध की कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर करनी होगी।
25. निविदादाता को दरें जी0एस0टी0 सहित भरना होगा।
26. निर्धारित शर्तों के अनुसार डाली गयी निविदा पर ही विचार किया जायेगा। सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

29/6/202

महाप्रबन्धक (जलकल)
नगर निगम, गोरखपुर।

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. टेण्डर समिति, नगर निगम, गोरखपुर।
2. प्रभारी अधिकारी विज्ञापन नगर निगम, गोरखपुर।
3. सहायक अभियन्ता (जल), नगर निगम, गोरखपुर।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

महाप्रबन्धक (जलकल)
नगर निगम, गोरखपुर।